उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 45 /1040 /2018/तीस-4-2018-4(02)/2010
लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या-10 सन् 1897 की धारा 21 और मोटरयान अधिनियम, 1988) (अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) की धारा-96 की उपधारा(2) के खण्ड तेईस के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा-212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

2- प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में आपत्तियॉ और सुझाव यदि कोई हो, प्रमुख सचिव, परिवहन अनुभाग-4, सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

3- ऐसे व्यक्ति, जो लिखित रूप में आपत्तियॉ और सुझाव दाखिल किये हो, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4, सचिवालय लखनऊ के समक्ष दिनांक 07 अगस्त, 2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश मोटरयान (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली 2018 कही जाएगी।

(ख) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-125 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में, नियम-125 में, नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी विद्यमान सारणी के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी सारणी रख दी जायेगी अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान सारणी				स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित सारणी			
क्रम संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम	क्रम संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने, अन्तरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए आवेदन-पत्र फीस		64	1	अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने, अन्तरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए आवेदन-पत्र फीस		64
					(क) मोटर कैब (बाइक टैक्सी)	500.00	
	(क) मोटर कैब	500.00			(ख) मोटर कैब	600.00	
	(ख) ओमनी बस या माल वाहन	1000.00			(ग) ओमनी बस या माल वाहन	1200.00	
2	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए-			2	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए-		
	(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की-		75, 81, 82		(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की-		75, 81, 82
	(एक) मंजिली गाडी के लिए	6000.00			(एक) मंजिली गाडी के लिए	7500.00	

	(दो) माल वाहन के लिए	6000.00			(दो) माल वाहन के लिए	7500.00	
	(तीन) मोटर टैक्सी, और बडी़ टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी़ के लिए	7500.00			(तीन) मोटर टैक्सी, और बडी़ टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी़ के लिए	9000.00	
	(चार) प्राइवेट सेवायान के लिए	3750.00			(चार) प्राइवेट सेवायान के लिए	4500.00	
	(पांच) बडी़ टैक्सी के लिए-				(पांच) बडी़ टैक्सी के लिए-		
	(क) एक सम्भाग के लिए	2000.00			(क) एक सम्भाग के लिए	3000.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रेदश के लिए	3750.00			(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रेदश के लिए	5000.00	
	(छ:) मोटर टैक्सी के लिए-				(छ:) मोटर टैक्सी के लिए-		
	(क) एक सम्भाग के लिए	1000.00			(क) एक सम्भाग के लिए	2000.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रेदश के लिए	2000.00			(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रेदश के लिए	3000.00	
	(ग) उत्तर प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिए	2000.00			(ग) उत्तर प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिए	3000.00	
	(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए	3200.00			(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए	5000.00	
					(सात) मोटर कैब (वाहन टैक्सी)		
					(क) एक सम्भाग के लिए	750.00	
					(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	1500.00	
	(ख) अस्थायी परमिट की-		74, 75		(ख) अस्थायी परमिट की-		74, 75
	(एक) प्रथम तीन दिन या उसके आंशिक भाग के लिए	375.00			(एक) प्रथम तीन दिन या उसके आंशिक भाग के लिए	450.00	
	(दो) तीन दिनों के बाद, सप्ताह के अंत तक	375.00			(दो) तीन दिनों के बाद, सप्ताह के अंत तक	450.00	
	(तीन) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए	375.00			(तीन) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए	450.00	
3	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिए फीस	225.00	84	3	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिए आवेदन फीस	270.00	84
4	परमिट के अन्तरण के लिए		87	4	परमिट के अन्तरण के लिए		87
	(एक) मंजिली गाडी़ के लिए	7500.00			(एक) मंजिली गाडी़ के लिए	9000.00	
	(दो) मोटर टैक्सी, बडी़ टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी़ के लिए	7500.00			(दो) मोटर टैक्सी, बडी़ टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी़ के लिए	9000.00	
	(तीन) माल वाहन की	625.00			(तीन) माल वाहन की	750.00	

	(चार) बडी़ टैक्सी	250.00			(चार) बडी़ टैक्सी	300.00	
	(पांच) मोटर टैक्सी,	250.00			(पांच) मोटर टैक्सी,	300.00	
	(छ:)परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को परमिट के अन्तरण के लिए फीस	खण्ड (एक) से (पांच) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी।			(छ:)परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को परमिट के अन्तरण के लिए फीस	खण्ड (एक) से (पांच) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी।	
5	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	125.00	88	5	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	परमिट फीस का आधा	88
6	राज्य या संभागीय प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए		91	6	राज्य या संभागीय प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए		91
	(एक) आटो रिक्शा परमिट के सम्बन्ध में	625.00			(एक) आटो रिक्शा परमिट के सम्बन्ध में	750.00	
	(दो) परिवहन यान के सम्बन्ध में	1250.00			(दो) परिवहन यान के सम्बन्ध में	1500.00	
7	राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्त कोई प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 15.00 रू0	91	7	राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्त कोई प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 20.00 रू0	91
8	प्रतियां देने के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 15.00 रू0 प्रति दस्तावेज प्रति नकल	91, 93	8	प्रतियां देने के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 20.00 रू0 प्रति दस्तावेज प्रति नकल	91, 93
9	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिए	संदेय न्यायालय फीस के अतिरिक्त 15.00 रू0 प्रति घण्टा।	95	9	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिए	संदेय न्यायालय फीस के अतिरिक्त 20.00 रू0 प्रति घण्टा।	95
10	परमिट में मोटरयान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिए	65.00	106	10	परमिट में मोटरयान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिए	80.00	106
11	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए-		113, 115,116	11	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए-		113, 115,116

	(एक) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1250.00			(एक) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1500.00	
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	950.00			(दो) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1140.00	
	(तीन) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है-				(तीन) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है-		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1250.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1500.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1000.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1200.00	
	(चार) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय भीतर न किया गया हो-				(चार) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय भीतर न किया गया हो-		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1500.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1800.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1000.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1200.00	
	(पांच) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए				(पांच) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	125.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	150.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	100.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	120.00	
12	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए	250.00	122	12	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए	300.00	122
13	किसी दस्तावेज की प्रति के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 10.00 रू0 प्रति नकल	123	13	किसी दस्तावेज की प्रति के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 15.00 रू0 प्रति नकल	123
14	(क) टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने हेतु	125.00	124	14	(क) टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण	150.00	124

	आवेदन के लिए।				किये जाने हेतु आवेदन के लिए।		
	(ख) सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किय जाने आदि के लिए।		124		(ख) सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किय जाने आदि के लिए।		124
	(एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	250.00			(एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	300.00	
	(दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने के लिए	250.00			(दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने के लिए	300.00	
	(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	60.00			(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	80.00	
	(ग)(एक) बैज जारी करने के लिए	125.00			(ग)(एक) बैज जारी करने के लिए	150.00	
	(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	250.00			(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	300.00	

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-45/2018/1040(1) /तीस-4-2018-4(02)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 19-07- 2018 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या- 45 /2018/1040(2)/तीस-4-2018-4(02)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.45 /2018/ 1040 /XXX-4-2018-4(2)/2010, dated 19 July, 2018.

Notification

No. 45 /2018/1040/ xxx-4-2018-4(02)/2010
Lucknow: Dated: July 19 , 2018

The following draft-rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 96 of the Motor Vehicles Act,1988(Act no.59 of 1988) read with clause (xxiii) of sub-section(2) of the said section and section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no. 10 of 1897) with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules,1998 is hereby published as required under sub section (1) of section 212 of the said Act of 1988 for all concerned and with view to inviting objections and suggestions is respect thereof:

Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed rules should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv,Parivahan Anubhag-4, Sachivalaya, Lucknow. Only such objections and suggestions as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the Gazette shall be taken into consideration.

The persons who file their objections and suggestions in writing may appear before Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Anubhag-4 Sachivalaya, Lucknow in his office room for hearing on 7th August, 2018 at 11.00 a.m.

DRAFT RULE

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (ELEVENTH AMENDMENT) RULES, 2018

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2018;

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in Gazette.

Amendment of rule 125

2- In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 in rule 125 for the existing table set out in Column-1 below the table as set out in the Column-2 shall be substituted, namely:--

Column-1 Existing Table TABLE				Column-2 Table as hereby substituted TABLE			
Sl. No.	Purpose	Amount	Rule	Sl. No.	Purpose	Amount	Rule
1	2	3	4	1	2	3	4
1	Application fee for grant, renewal, transfer and		64	1	Application fee for grant, renewal, transfer and		64

	countersignature of permit other than the temporary permit-				countersignature of permit other than the temporary permit-		
	(a) Motor Cab (b) Omni bus or Goods Carriage.	500.00 1000.00			(a) Motor Cab (Bike Taxi) (b) Motor Cab (c) Omni bus or Goods Carriage.	500.00 600.00 1200.00	
2	For grant, renewal and countersigning of permit-			2	For grant, renewal and countersigning of permit-		
	(A) of Permit other than temporary permit-		75,81, 82		(A) of Permit other than temporary permit-		75,81, 82
	(i) for stage carriage	6000.00			(i) for stage carriage	7500.00	
	(ii) for goods carriage	6000.00			(ii) for goods carriage	7500.00	
	(iii) for contract carriage other than motor cab and maxi cab.	7500.00			(iii) for contract carriage other than motor cab and maxi cab.	9000.00	
	(iv) for Private Service Vehicle	3750.00			(iv) for Private Service Vehicle	4500.00	
	(v) for maxi cab -				(v) for maxi cab -		
	(a) for one region	2000.00			(a) for one region	3000.00	
	(b) for whole 0f Uttar Pradesh	3750.00			(b) for whole 0f Uttar Pradesh	5000.00	
	(vi) for motor cab -				(vi) for motor cab -		
	(a) for one region	1000.00			(a) for one region	2000.00	
	(b) for whole 0f Uttar Pradesh	2000.00			(b) for whole 0f Uttar Pradesh	3000.00	
	(c) for three contiguous States including Uttar Pradesh	2000.00			(c) for three contiguous States including Uttar Pradesh	3000.00	
	(d) for whole of India	3200.00			(d) for whole of India	5000.00	
	--				(vii) Motor Cab (Bike Taxi)		
					(a) for one region	750.00	
					(b) for whole	1500.00	

					Uttar Pradesh		
	(B) Of temporary permit -		74,75		(B) Of temporary permit -		74,75
	(i) for first three days or part there of	375.00			(i) for first three days or part there of	450.00	
	(ii) after three days up to end of the week.	375.00			(ii) after three days up to end of the week.	450.00	
	(iii) for every additional week	375.00			(iii) for every additional week	450.00	
3	Application fee for replacement of a vehicle under a permit	225.00	84	3	Application fee for replacement of a vehicle under a permit	270.00	84
4	For Transfer of permit-		87	4	For Transfer of permit-		87
	(i) for stage carriage	7500.00			(i) for stage carriage	9000.00	
	(ii) for contract carriage other than motor cab and maxi cab	7500.00			(ii) for contract carriage other than motor cab and maxi cab	9000.00	
	(iii) for goods carriage	625.00			(iii) for goods carriage	750.00	
	(iv) for maxi cab	250.00			(iv) for maxi cab	300.00	
	(v) for motor cab	250.00			(v) for motor cab	300.00	
	(vi) fee for transfer of permit to the legal heirs of the permit holder in the event of his death shall be	Half of the fee specified in clause (i) to (v)			(vi) fee for transfer of permit to the legal heirs of the permit holder in the event of his death shall be	Half of the fee specified in clause (i) to (v)	
5	For issue of a duplicates permit-	125.00	88	5	For issue of a duplicates permit-	Half of the Grant Permit fee	88
6	For appeal against the order of the State of Regional Authority-		91	6	For appeal against the order of the State of Regional Authority-		91
	(i) in respect of Auto rickshaws permit	625.00			(i) in respect of Auto rickshaws permit	750.00	
	(ii) in respect of transport vehicle-	1250.00			(ii) in respect of transport vehicle-	1500.00	

7	For filing any miscellaneous application containing a prayer before the State Transport Appellate Tribunal	15.00 in the form of court fee Stamp	91	7	For filing any miscellaneous application containing a prayer before the State Transport Appellate Tribunal	20.00 in the form of court fee Stamp	91
8	For Supply of copies	15.00 per copy per document in the form of court fee stamp in addition to the Stamp duty payable	91,93	8	For Supply of copies	20.00 per copy per document in the form of court fee stamp in addition to the Stamp duty payable	91,93
9	For inspection of files	15.00 per hour in addition to court fee payable	95	9	For inspection of files	20.00 per hour in addition to court fee payable	95
10	For entry of alteration of motor vehicle in the permit	65.00	106	10	For entry of alteration of motor vehicle in the permit	80.00	106
11	For grant or renewal of Agent's Licence-		113, 115, 116	11	For grant or renewal of Agent's Licence-		113, 115, 116
	(i)For grant of Licence for principal establishment	1250.00			(i) For grant of Licence for principal establishment	1500.00	
	(ii) for grant of Supplementary Licence of each additional establishment	950.00			(ii) for grant of Supplementary Licence of each additional establishment	1140.00	
	(iii) for renewal of Agent's Licence if application is made within time-				(iii) for renewal of Agent's Licence if application is made within time-		
	(a) in respect of Licence for	1250.00			(a) in respect of Licence for	1500.00	

	principal establishment				principal establishment		
	(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	1000.00			(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	1200.00	
	(iv) for renewal of Agent's Licence if application is not made within time-				(iv) for renewal of Agent's Licence if application is not made within time-		
	(a) in respect of Licence for principal establishment	1500.00			(a) in respect of Licence for principal establishment	1800.00	
	(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	1000.00			(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	1200.00	
	(v) for issue of duplicate Agent's Licence-				(v) for issue of duplicate Agent's Licence-		
	(a) in respect of Licence for principal establishment	125.00			(a) in respect of Licence for principal establishment	150.00	
	(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	100.00			(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	120.00	
12	For appeal against the order of Licensing Authority	250.00	122	12	For appeal against the order of Licensing Authority	300.00	122
13	For copy of document	10.00 per copy in addition to the Stamp duty payable	123	13	For copy of document	15.00 per copy in addition to the Stamp duty payable	123
14	(A) for application for grant of renewal of Agent's Licence for sale of tickets-	125.00	124	14	(A) for application for grant of renewal of Agent's Licence for sale	150.00	124

					of tickets-		
	(B) For grant or renewal of Agent's Licence for sale of tickets for travel by public service vehicle-		124		(B) For grant or renewal of Agent's Licence for sale of tickets for travel by public service vehicle-		124
	(i) for grant of Licence	250.00			(i) for grant of Licence	300.00	
	(ii) for renewal of Licence	250.00			(ii) for renewal of Licence	300.00	
	(iii) for issue of duplicate Licence	60.00			(iii) for issue of duplicate Licence	80.00	
	(C) (i) for issue of a badge	125.00			(C) (i) for issue of a badge	150.00	
	(ii) for issue of a duplicate badge	250.00			(ii) for issue of a duplicate badge	300.00	

By Order

(Aradhana shukla)
Pramukh Sachiv.

संख्या- 45/2018/ 1040 (1)/तीस-4-2018-4(02)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 19 जुलाई, 2018 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या- 45/2018/ 1040(2)/तीस-4-2018-4(02)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।